

# नगर पालिका, रावतभाटा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/RAWATBHATA/FIRENOC/2025-26/53532  
जारी दिनांक: 16-JUL-2025 वैधता दिनांक: 15-JUL-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: RABART S  
आवेदक का पता: UNITED CHURCH CAMPUS NTC RAWATBHATA 323307,  
RAJASTHAN

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन ST PAULS SECONDARY SCHOOL, 01, NEAR NTC GATE, JHALARBAORI BHABHANAGAR, ,  
CHITTORGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही  
पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई  
(Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

1. अग्निशमन उपकरण समायावधि में रीफिल कराना होगा।
2. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
3. मिट्टी/रेत/पानी से भरी बाल्टियो को निश्चित स्थान स्टेण्ड पर ही लगाई जावे।
4. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टॉवर/भवन की ऊंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
5. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अतिज्वनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
6. फायर वाहन आसानी से आ जा सके, इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
7. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा।
8. अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। 2 वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
9. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलियरी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
10. सुरक्षा की दृष्टि से बाहर व अन्दर, अन्य स्थान पर विद्युत वायरिंग उच्च गुणवत्ता की ही उपयोग की जावे व समय-समय पर इसका ध्यान रखा जावे।
11. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे एवं पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
12. अग्नि शमन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद स्वायत्त शासन विभाग/राज्य सरकार द्वारा सुचीबद्ध एजेंसियों/अग्निशमन अधिकारी (उपलब्धता अनुसार) द्वारा अग्निशमन सुरक्षाओं का वार्षिक निरीक्षण व मॉक ड्रिल करवाया जाना होगा।
13. किसी भी निर्मित भवन/परिसर या भूमि को नियमन के लिए अनुमोदन अथवा स्वामित्व का प्रमाण-पत्र या भवन निर्माण स्वीकृति, अधिवास की स्वीकृति, पूर्णता प्रमाण-पत्र अथवा भू उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन नहीं माना जावेगा तथा भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए.एम.सी. करवाई जाकर सिस्टम का रखरखाव/संचालन करना अनिवार्य होगा।
15. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक/आवेदक को मान्य होगा।
17. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम/उपकरण चालू स्थिति में नहीं पाये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
18. भवन में अग्नि दुर्घटना घटित होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वम की होगी।



ST. PAUL'S SEC SCHOOL, RAWATBHATA

MANAGER

PRINCIPAL

Signed by: Mukesh Nagar  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: RAWATBHATA, Rajasthan  
Date: 16/07/2025 18:43:43


अग्निशमन अधिकारी  
नगर पालिका, रावतभाटा


# नगर पालिका, रावतभाटा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

19. उक्त भवन मे स्थापित अग्निशामन उपकरण एवं संशाधनों की देख रेख स्वंम के स्तर पर समय समय पर करनी होगी।
20. अग्नि दुर्घटना के समय बचाव हेतु टी.टी.एल. अग्निशामन वाहन होना अतिआवश्यक है , जो भवन की उचाई के बराबर हो ।

ST. PAUL'S SEC. SCHOOL, RAWATBHATA

  
MANAGER

  
PRINCIPAL



Signed by: Mukesh Nagar  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: RAWATBHATA, Rajasthan  
Date: 16/07/2025 13:43:43

अग्निशामन अधिकारी  
नगर पालिका, रावतभाटा